फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 61/2023

online 2023/223

उनवान

अंकुर मेहरी बनाम श्री नगजी गाडरी

नि0 भीलवाड़ा — नि0 सुवाणा

53 प्रा0पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
/5/23	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को, जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 5/7/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा	
5/7/23	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 रजिस्टर्ड एडी के डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त प्रतिवादी सं. 01 अनुपस्थित। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। प्रकरण प्रतिवादी सं. 2 की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 19/7/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/7/23	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्य से व्यस्त~~ अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 9/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) आदेश से रीडर	

26.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या बावजूद तामील के अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या 01 को विधिवत बार आवाजे दिलवाई गई इसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। अधिवक्ता वादीगण एक तरफा बहस सुनी गई बहस के दौरान वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 650 में आराजी संख्या 407 रकबा 0.1012 है0 आराजी संख्या 409 रकबा 0.2908 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा वादी संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुपात में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से पक्षकारान को विकास करने उपजाउ बनाने व लगान आदि जमा कराते समय तथा कृषि भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लडाई झगडा होता रहता है। वादीगण अपने हक व हिस्से का मौके पर रेकार्ड के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन कराने की इस्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 650 में आराजी संख्या 407 रकबा 0.1012 है0 आराजी संख्या 409 रकबा 0.2908 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा वादी संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा की आराजियात का कब्जे अनुसार एवं मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतएंव:

–: आदेश :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या के जारी की जाकर ग्राम सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 650 में आराजी संख्या 407 रकबा 0.1012 है0 आराजी संख्या 409 रकबा 0.2908 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 की आराजियात के आधार पर जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार भीलवाड़ा पक्षकारान की उपस्थिति में उक्तानुसार विभाजन बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 08.08.2023 को वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

.08.2023— पत्रावली पैश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस करनी चाही, बहस वकील वादीगण एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. अंकुर पुत्र नरेन्द्र कुमार 1/2 शेट्टी सा. आर.सी. व्यास भीलवाडा, अनिल भगवती प्रसाद पुत्र भगवतीप्रसाद रामनिवास 1/2 माछर अन्धेरी वेस्ट मुम्बई खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
409/1	0.2613	नहरी—।।
किता—1	**0.2613 है0**	"

2. नंगजी पुत्र धन्ना गाडरी सा. देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
409/2	0.0295	नहरी—।।
407	0.1012	"
किता—02	**0.1307 है0**	"

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा